भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1060

29.07.2024 को उत्तर के लिए

नहर में अपशिष्ट का बहिस्त्राव

1060. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या ***पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब राज्य में चल रहे उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे बहिस्त्राव के कारण राजस्थान राज्य को आपूरित नहर जल के संदूषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार राजस्थान को आपूर्ति किए जा रहे नहर जल को प्रदूषित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार पंजाब के उद्योगों और नगरपालिका प्राधिकारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने का है और यदि हां, तो उक्त कार्रवाई कब तक की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इरादा इसके मुद्दे के त्वरित समाधान में सहायता करने के लिए दोनों राज्यों के बीच हस्तक्षेप करने का है?

उत्तर

पर्यावरण :वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ,
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): सतलुज नदी नांगल को पार करने के बाद रोपड़ से होकर हरिके हेड वर्क्स तक पहुँचती है। लुधियाना, जालंधर और फगवाड़ा सहित पंजाब के कई शहरों और कस्बों से अशोधित/आंशिक रूप से शोधित मल-जल और औद्योगिक बहिःस्राव को नदी में छोड़ देने के कारण सतलुज नदी के जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की दिनांक 20.09.2019 को आयोजित 29वीं बैठक में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पंजाब के कई शहरों/कस्बों से अशोधित मल-जल और औद्योगिक बहिःस्राव सतलुज नदी और इसमें मिलने वाली इसकी सहायक नदियों/नालों में छोड़ा जाता है।

(ख) और (ग): सीपीसीबी ने 23-25 जून, 2021 के दौरान पंजाब राज्य में सतलुज नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित 14 मल-जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी), 4 साझा बहिःस्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) और 29 अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई)/अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (एचपीआई) का यादृच्छिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण रिपोर्टों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है

कि 29 औद्योगिक इकाइयों में से 15; 4 सीईटीपी में से 2 और 14 एसटीपी में से 12 अपशिष्ट निस्तारण मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहे थे। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाली औद्योगिक इकाइयों, सीईटीपी और एसटीपी के विरुद्ध निम्नवत कार्रवाई की गई थी।

i. सीपीसीबी द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन मानदंडों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने वाली छह औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

ii. अपशिष्ट उत्सर्जन मानदंडों का मामूली उल्लंघन करने वाली नौ औद्योगिक इकाइयों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया था।

iii. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत नगर निगम आयुक्त को पांच मल-जल शोधन संयंत्रों द्वारा निस्तारण मानदंडों के पूर्णतः उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

iv. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के तहत पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) को निस्तारण मानदंडों के मामूली उल्लंघन (केवल फेकल कोलीफॉर्म) वाले सात मल-जल शोधन संयंत्रों के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

v. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के तहत पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) को दो साझा बहिःस्राव शोधन संयंत्रों के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जिनमें बहिःस्राव निस्तारण मानदंडों का पूर्णतः उल्लंघन किया गया था।

इसके अलावा, वर्ष 2016 और वर्ष 2017 के जल गुणवत्ता आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2018 में सीपीसीबी द्वारा 351 प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) को अभिज्ञात किया गया था। इनमें से पंजाब राज्य में 4 पीआरएस अभिज्ञात किए गए थे, जिनमें प्राथमिकता श्रेणी I (बीओडी>30 mg/L है) के अन्तर्गत रूपनगर से हरिके पुल तक सतलुज नदी का प्रदूषित नदी खंड भी शामिल है।

वर्ष 2018 के दौरान सीपीसीबी द्वारा अभिज्ञात किए गए 351 प्रदूषित नदी खंडों के कायाकल्प के लिए, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव के समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित नदी कायाकल्प समिति (आरआरसी) द्वारा कार्य योजनाएं तैयार की गईं हैं, ताकि सीपीसीबी द्वारा अभिज्ञात किए गए सभी प्रदूषित नदी खंडों को स्नान के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त (अर्थात बीओडी<3 mg/L और एफसी<500MPN/100 mL) बनाया जा सके।

*****